



पत्र सं०:- 819

/ वरुण

/ देविका

दिनांक- 17/10/2020

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों से टू-बिड पद्धति पर मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद-देवरिया के बरहज में राजकीय इन्टर कालेज के निर्माण कार्य हेतु आन-लाईन ई-निविदाएँ <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड उपस्थित निविदादाताओं / उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान-आजमगढ़ में दिनांक 28.11.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (₹0 लाख में)	धरोहर धनराशि (₹0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों / फर्मों हेतु ई-निविदा डाउनलोड प्रारम्भ होने तथा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद-देवरिया के बरहज में राजकीय इन्टर कालेज के भवन निर्माण कार्य	बी.ओ.क्यू के अनुसार	400.00	8	1500.00 + 18% GST = 1770.00	10 माह	दिनांक 30.10.20 को 17.00 बजे से दिनांक 27.11.20 को 13.00 बजे तक।	दिनांक 28.11.2020 को 13.00 बजे।	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी।

नियम व शर्त:-

- निविदा की प्रोसेसिंग का मूल्य, धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय इकाई के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है-

Name of A/c Holder : **Project Manager, Construction Unit-Azamgarh, Uttar Pradesh
Avas Evam Vikash Parishad, Azamgarh.**

A/C No. : **11171000004613**

IFSC Code : **PSIB0021117**

Name of Bank : **Punjab & Sind Bank, Ailwal, Azamgarh.**

- निविदा प्रपत्र / धरोहर धनराशि के मूल्य, से सम्बन्धित आर०टी०जी०एस० का यूटीआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार / फर्मों द्वारा ही आनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
- निविदा दाता / फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी की रसीद / साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान किया अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।

Mahesh

5. 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
6. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों / फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे एवं उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ स्टैम्प पेपर पर देना होगा।
8. निविदादाताओं / फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो संबंधित खण्ड के परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-आजमगढ़ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
9. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
10. निविदादाता / फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेज की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
11. निविदादाता फर्म का वाणिज्यकर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उनके सभी देयकों से सभी प्रकार के टैक्सों जैसे- जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस, आदि जो 30प्र0 सरकार द्वारा लागू किया जाता है, से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदाये अगले कार्य दिवसों को खोली जायेगी।
13. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी एवं कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
14. समस्त कार्य 30प्र0 लोक निर्माण विभाग / परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
15. जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर निविदा की दर कम (Below) दर के लिए मान्य होगी एवं शासनादेश सं0-522/23-12-2012-2 आडिट / 08 टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा (Performance Security Deposit) अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
(अ) 10% Below दर तक 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
(आ) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
18. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. परियोजना के पूर्ण होने पर उक्त को सम्बन्धित विभाग को सन्तोषजनक स्थिति में हस्तान्तरित कराने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म का होगा।
20. प्रत्येक निविदा के साथ रु0 100.00/- के स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00/- का रसीदी टिकट लगा कर दरों की वैधता 90 दिन तक वैध है, हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
21. ऐसी फर्म जो परिषद में रजिस्टर्ड है, निविदा में प्रतिभाग करने पर उनको जर्नल सिक्कोरिटी के सम्बन्ध में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
22. निविदा के साथ 10 माह में कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी बार चार्ट देना अनिवार्य होगा।
23. निविदादाता द्वारा दी गयी दर 1% लेबर सेस सहित मानी जायेगी।
24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

Mahar

25. वित्तीय बिड कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-आजमगढ़, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में खोली जायेगी जिसकी तिथि व समय ई-टेण्डरिंग पोर्टल के माध्यम से अवगत करायी जायेगी।
26. निविदा के नियमों व शर्तों के सम्बन्ध में निविदादाताओं को स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु उनकी एक प्री-बिडिंग बैठक दिनांक 03.11.2020 को कार्यालय अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-03, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान-आजमगढ़ के सहायक अभियंता कक्ष में अपरान्ह 03.00 बजे आयोजित की जायेगी।

Mahen
17/10-2020

(महेन्द्र कुमार)

परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0-

819

1 वरुण

1 देविका

दिनांक 17/10/2020

प्रतिलिपि:-

- 1- निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेंसी सेल, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक-अधीक्षण अभियंता, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी
- 3- अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-01, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-02
- 4- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना को आवास एवं विकास परिषद की वेब-साइट पर अपलोड करने के आशय से।
- 5- सहायक अभियंता श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, एवं अवर अभियंता श्री लल्लन प्रसाद, निर्माण इकाई-आजमगढ़, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ़।
- 6- नोटिस बोर्ड।

Mahen
17/10-2020

परियोजना प्रबन्धक



कार्यालय

अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक
निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-03
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आजमगढ़, 276001

Email:- cdmau4@gmail.com



पत्र सं०:- 822 / 2556 / 2020 दिनांक- 17/10/2020

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों से टू-बिड पद्धति पर मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद-देवरिया के रुद्रपुर में राजकीय इन्टर कालेज के निर्माण कार्य हेतु आन-लाईन ई-निविदायेँ <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड उपस्थित निविदादाताओं / उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान-आजमगढ़ में दिनांक 28.11.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (₹0 लाख में)	धरोहर धनराशि (₹0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों / फर्मों हेतु ई-निविदा डाउनलोड प्रारम्भ होने तथा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद-देवरिया के रुद्रपुर में राजकीय इन्टर कालेज का निर्माण कार्य।	बी.ओ.क्यू के अनुसार	400.00	8	1500.00 + 18% GST = 1770.00	10 माह	दिनांक 30.10.20 को 17.00 बजे से दिनांक 27.11.20 को 13.00 बजे तक।	दिनांक 28.11.20 को 13.00 बजे।	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अद्यत करायी जायेगी।

नियम व शर्तें:-

- निविदा की प्रोसेसिंग का मूल्य, धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय इकाई के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है-

Name of A/c Holder : **Project Manager, Construction Unit-Azamgarh, Uttar Pradesh
Avas Evam Vikash Parishad, Azamgarh.**

A/C No. : **11171000004613**

IFSC Code : **PSIB0021117**

Name of Bank : **Punjab & Sind Bank, Ailwal, Azamgarh..**

- निविदा प्रपत्र / धरोहर धनराशि के मूल्य, से सम्बन्धित आर०टी०जी०एस० का यूटीआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार / फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- निविदा दाता / फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी की रसीद / साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान किया अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।

mahu

5. 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
6. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों / फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे एवं उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
8. निविदादाताओं / फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-03, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान-आजमगढ़ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
9. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
10. निविदादाता / फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेज की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
11. निविदादाता फर्म का वाणिज्यिक विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उनके सभी देयकों से सभी प्रकार के टैक्सों जैसे- जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस, आदि जो 30प्र0 सरकार द्वारा लागू किया जाता है, से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदाये अगले कार्य दिवसों को खोली जायेगी।
13. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी एवं कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
14. समस्त कार्य 30प्र0 लोक निर्माण विभाग / परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
15. जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर निविदा की दर कम (Below) दर के लिए मान्य होगी एवं शासनादेश सं0-522/23-12-2012-2 आडिट / 08 टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा (Performance Security Deposit) अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
(अ) 10% Below दर तक 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
(आ) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
18. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. परियोजना के पूर्ण होने पर उक्त को सम्बन्धित विभाग को सन्तोषजनक स्थिति में हस्तान्तरित कराने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म का होगा।
20. प्रत्येक निविदा के साथ रु0 100.00/- के स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00/- का रसीदी टिकट लगा कर दरों की वैधता 90 दिन तक वैध है, हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
21. ऐसी फर्म जो परिषद में रजिस्टर्ड है, निविदा में प्रतिभाग करने पर उनको जर्नल सिक्योरिटी के सम्बन्ध में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
22. निविदा के साथ 10 माह में कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी बार चार्ट देना अनिवार्य होगा।
23. निविदादाता द्वारा दी गयी दर 1% लेबर सेस सहित मानी जायेगी।
24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

Maha

25. वित्तीय बिड कार्यालय अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-03, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान-आजमगढ़ में खोली जायेगी जिसकी तिथि व समय ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अवगत करायी जायेगी।
26. निविदा के नियमों व शर्तों के सम्बन्ध में निविदादाताओं को स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु उनकी एक प्री-बिडिंग बैठक दिनांक 03.11.2020 को कार्यालय अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-03, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान-आजमगढ़ के सहायक अभियंता कक्ष में अपरान्ह 03.00 बजे आयोजित की जायेगी।

Mahesh
17-10-2020
(महेन्द्र कुमार)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0- 822 / 596 / देवी / दिनांक 17/10/2020
प्रतिलिपि:-

- 1- निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेंसी सेल, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक-अधीक्षण अभियंता, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी ।
- 3- अधिशासी अभियंता / परियोजना प्रबन्धक, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-01, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई, वाराणसी-02
- 4- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना को आवास एवं विकास परिषद की वेब-साइट पर अपलोड करने के आशय से।
- 5- सहायक अभियंता श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, एवं अवर अभियंता श्री लल्लन प्रसाद, निर्माण इकाई-आजमगढ़, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ़।
- 6- नोटिस बोर्ड।

Mahesh
17-10-2020
परियोजना प्रबन्धक